न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा, आर.ए.एस.

मु.नं. 15/2021 दायरा दिनांक– 11/1/21

रामकुमारसिंह राजपुत पुत्र सुल्तानसिंह जाति राजपुत निवासी नोडिया तहसील बीदासर जिला चूरू
वादी

बनाम

1. अर्जुनसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति राजपुत निवासी नोडिया तहसील बीदासर जिला चूरू
2. गोरधनसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति राजपुत निवासी नोडिया तहसील बीदासर जिला चूरू
3. प्रतापसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति राजपुत निवासी नोडिया तहसील बीदासर जिला चूरू
4. भगवानसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति राजपुत निवासी नोडिया तहसील बीदासर जिला चूरू
5. रणजीतसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति राजपुत निवासी नोडिया तहसील बीदासर जिला चूरू
6. श्रवणसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति राजपुत निवासी नोडिया तहसील बीदासर जिला चूरू
7. मदनकंवर पत्नि सुल्तानसिंह जाति राजपुत निवासी नोडिया तहसील बीदासर जिला चूरू
8. इच्चु पुत्री सुल्तानसिंह जाति राजपुत निवासी नोडिया तहसील बीदासर जिला चूरू
9. मनोज पुत्री सुल्तानसिंह जाति राजपुत निवासी नोडिया तहसील बीदासर जिला चूरू
10. सरोज पुत्री सुल्तानसिंह जाति राजपुत निवासी नोडिया तहसील बीदासर जिला चूरू
11. बजरंगसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपुत निवासी नोडिया तहसील बीदासर जिला चूरू
12. उछब पुत्री उम्मेदसिंह जाति राजपुत निवासी नोडिया तहसील बीदासर जिला चूरू
13. भंवरी पुत्री उम्मेदसिंह जाति राजपुत निवासी नोडिया तहसील बीदासर जिला चूरू
14. हवाकंवर पुत्री उम्मेदसिंह जाति राजपुत निवासी नोडिया तहसील बीदासर जिला चूरू
15. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा ईंयारा तहसील बीदासर जिला चूरू
16. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद घोषणात्मक, राजस्व अभिलेखों में संशोधन एवं चिर निशेधाज्ञा डिग्री प्राप्ति का अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थित :– 1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट– वकील वादी
2. पेरोकार राज

–: निर्णय :– दिनांक :–18.08.2021

प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 10 के पति पिता सुलतानसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम नोडिया के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 265 दौ सौ पेंसठ तादादी 7.5499 सात दशमलव पांच हजार चार सौ निनावे हेक्टेयर, खसरा संख्या 278 दौ सौ अठहतर तादादी 0.6324 जीरो दशमलव छः हजार तीन सौ चौबीस हेक्टेयर, खसरा संख्या 351 तीन सौ ईकावन तादादी 10.8253 दस दशमलव आठ हजार दौ सौ तरेपन हेक्टेयर कुल किता 3 तीन कुल रकबा 19.0076 उन्नीस दशमलव छिहतर हेक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम नोडिया तहसील बीदासर जिला चूरू में संयुक्त खातेदारी की स्थित है जिसमें वादी के पिता सुलतानसिंह का 1/4 हिस्सा है। उक्त भूमि पहले वादी के पिता सुलतानसिंह के कब्जा काश्त खातेदारी अधिकार में थी। वादी के पिता सुलतानसिंह का स्वर्गवास हो गया। सुलतानसिंह के सात पुत्र रामकुमारसिंह, अर्जुनसिंह, गोरधनसिंह, प्रतापसिंह, भगवानसिंह, रणजीतसिंह, श्रवणसिंह व तीन पुत्रिया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

ईच्छु, मनोज, सरोज व एक पत्नि मदनकंवर जायज वारिस है अर्थात् सुलतानसिंह के कुल ग्यारह जायज वारिस है। वादी के पिता का स्वर्गवास होने के बाद वादी के पिता सुलतानसिंह की 1/4 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 10 दस के कब्जा काश्त में आ गई। सुलतानसिंह के स्वर्गवास के बाद वादगत भूमि में वादी का 1/44 एक बट्टा चौवालिस हिस्सा कायम हो गया। वादगत भूमि वादी के पिता के नाम होने से वादी की पुस्तेनी भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 10 दस ने सुलतानसिंह के स्वर्गवास के बाद वादगत खेतों की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में बाला बाला राजस्व कर्मचारीयों से मिलिभगत करके अपने नाम अंकित करवा ली। वादगत खेत वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 10 दस के संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैत्रिक कोपार्सनरी सम्पति के है। वादगत खेत वादी के पुस्तेनी खेत है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत पैत्रिक सम्पति में पुत्र पुत्री का जन्म से ही हक हिस्सा कायम हो जाता है। इसलिए वादगत खेत में वादी का 1/44 एक बट्टा चौवालिस हिस्सा जन्म लेते ही कायम हो गया। वादगत खेतों की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 10 दस ने अपने अकेलों के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित करायी जो वादी के मुकाबले शुन्य है। घोषित किया जावे कि वादगत खेतों का वर्तमान राजस्व रेकार्ड वादी के मुकाबले शुन्य है तथा वादी वादगत खेतों में 1/44 एक बट्टा चौवालिस हिस्सा भूमि का खातेदार कृषक है। सुलतानसिंह के स्वर्गवास के बाद वादगत खेतों में प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 10 दस के साथ ही वादी का 1/44 एक बट्टा चौवालिस हिस्सा नियत हो गया। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 10 दस ने वादगत खेतों की खातेदारी में अपने अकेलों का नाम दर्ज कराया जो गलत रूप से दर्ज कराई। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 10 दस के नाम वादगत खेतों की दर्ज खातेदारी को संशोधित किया जाकर वादी के नाम 1/44 एक बट्टा चौवालिस हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 10 दस प्रत्येक के 1/44 एक बट्टा चौवालिस हिस्सा की खातेदारी दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में संशोधन फरमाया जावे। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 10 दस से दिनांक 01.12.2020 को मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेतों की खातेदारी में संशोधन कराये परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 10 दस ने साफ इन्कार कर दिया ओर वादी को ऐलानीया तौर पर धमकियां दी की वोह वादी को उसके हिस्से पांति बंटवारा के खेतों से जबरन बलपूर्वक बेदखल करके कब्जा स्वंय करेगे या किसी अन्य का करायेगे। इस दोषपूर्ण कृत्य में प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 10 दस सफल हो गये तो वादी को अपने हिस्से की खातेदारी भूमि से वंचित होना पडेगा जिसकी वादी को अपूर्तिय क्षति होगी, जिसकी पूर्ती किसी भी सुरत में पूर्ण नहीं हो पायेगी। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 10 दस को जरीये चिर निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द फरमाया जावे कि वादगत भूमि का जब तक राजस्व रेकार्ड में संशोधन नहीं हो जाता तब तक वादगत खेतों के किसी हिस्से या अंश को विकय, हस्तांतरण, रहन, बैय आदि नहीं करें ओर ना ही वादी को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बलपूर्वक बेदखल कर कब्जा स्वंय करे या किसी अन्य का कराये। ना ही वादी को उसके हिस्से की भूमि को काश्त करने में किसी प्रकार की बाधायें, रूकावटे आदि पैदा स्वयं करे या किसी अन्य से कराये जिससे वादी के वैध कानूनी अधिकारों के विपरीत असर पडे। वादगत खेत वादी के संयुक्त खातेदारी एवं पैत्रिक कापार्सनरी सम्पति के खेत है एवं कब्जा काश्त में होने से वादी को वादाधार वाद प्राप्त है तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 10 दस द्वारा ऐलानियां धमकियां देने से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। घोषणात्मक वाद में राजस्थान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

सरकार आवश्यक पक्षकार है। राजस्थान सरकार के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने के कारण एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 10 दस द्वारा वादी को जबरन बेदखल करने की ऐलानियां धमकियां दिये जाने के कारण वाद तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हो गया है इसलिए राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का नोटिस दिया जाना संभव नहीं है इसलिए वादी द्धारा दावा पेश करने के लिए अलग से धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत न्यायालय से अनुमति लेकर यह दावा पेश किया जा रहा है। वाद वादी घोषणात्मक, रेकार्ड संशोधन एवं चिर निशेधाज्ञा डिकी प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम नोडिया तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने इकबाल जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 15 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी वकील ने दौराने बहस दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादी के वाद को डिकी करने का निवेदन किया।

वादी वकील की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादी द्धारा वाद में किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्धारा नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 द्वारा इकबाल जवाब पेश किया जाकर वादी के वाद को डिकी करने पर सहमति दी है। इस कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी को वादगत भूमि में 1/44 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। वादी का वाद डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम डिकी इस प्रकार जारी की जाती है कि वादगत भूमि में वादी 1/44 हिस्सा का खातेदार है। इस कारण वादगत भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 प्रत्येक के 1/44 हिस्सा भूमि दर्ज की जावे। प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 की हिस्सा भूमि यथावत रखी जावे। तदनुसार अंतिम डिकी जारी हो। अंतिम डिकी की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner